(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन (उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 पवन कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पं.शिवराम राजकीय महाविद्यालय त्यूनी(देहरादून) उत्तराखंड।

शोध सारांश

भारत में पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं को संवैधानिक आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिसे अनेक राज्यों में बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस व्यवस्था ने महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण का अवसर प्रदान किया है तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है।

यद्यपि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याओं में अशिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता का अभाव, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सीमित जानकारी, वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण की कमी, पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना, पारिवारिक हस्तक्षेप तथा प्रधान पति जैसी प्रवृत्तियाँ शामिल हैं। अनेक मामलों में महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर नहीं मिल पाता और उनके अधिकारों का प्रयोग उनके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, राजनीतिक दलों का सीमित सहयोग, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता तथा आर्थिक निर्भरता भी उनके प्रभावी नेतृत्व में बाधा उत्पन्न करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घरेलू उत्तरदायित्वों और सार्वजनिक कार्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की मात्र संख्यात्मक उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है। यदि महिला प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशासनिक प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और स्वतंत्र निर्णय लेने का वातावरण प्रदान किया जाए, तो वे स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

मुख्य शब्द . ***स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, महिला आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सशक्तिकरण, ।***

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

भारत के सामाजिक और आर्थिक ढ़ाँचें में शताब्दियों से कुछ वर्ग दबे, कुचले तथा शोषित रहे हैं। जिनका शोषण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्ति"ाली वर्गों के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। दलित तथा पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के साथ साथ भारतीय नारी को भी शोषितों के वर्ग में ही रखा जाना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से स"ाक्त लोगों ने यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण किया है तो सम्पूर्ण पुरुष वर्ग ने नारी को भोग की वस्तु समझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें उनके नैसर्गिक अधिकारों से वंछित करके वे सारे रास्ते बन्द कर दिये जो उनके बौद्धिक विकास का मार्ग प्र"ास्त कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक सजग एवं स्वावलम्बी बना सकते थे।

भारत सरकार द्वारा **अप्रैल 1993** में **73वाँ व 74वाँ संविधान स"ाोधन विधेयक** पारित करके, महिलाओं के लिए पंचायतों तथा नगर निकायों में एक–तिहाई (33.0 प्रति"ात) स्थान आरक्षित करके मूल स्तर पर राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी को सुनि"चित करने का प्रयास किया गया है।[1] महिलाओं के लिए स्थानीय स्व"ाासन में आरक्षण का प्रावधान बहुत सोच–समझकर लिया गया एक कदम है। ग्रामीण समाज में महिलायें बहुत पिछड़ी हुई हैं और पुरूष उन पर हावी हैं, यद्यपि ग्रामीण अर्थतन्त्र में महिलाओं का योगदान पुरूषों से कम नहीं है परन्तु इसके बावजूद भी उन्हें सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पुरुषों से कम ही आँका जाता है। पारित विधेयक में इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा सुधार अभियान को गति"ाील बनाने का प्रथम अवसर संविधान के माध्यम से ही प्राप्त हुआ।

73वें स"ाोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा पंचायतों के इतिहास में मील के पत्थर के समान हैं। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विधान बनाने मात्र से समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। समानता के प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बहुत ही निम्न है। दे"ा में एक–तिहाई ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर, क्षेत्र समितियों, नगरपालिका आदि में शासन की बागडोर इन महिलाओं के हाथ में है। यह भूमिका उनके लिए नई है परन्तु महिला आरक्षण के प"चात पंचायती राज के लगभग 33 साल पूरे हो जाने के बाद भी इन प्रतिनिधियों में राजनीतिक चेतना का प्रसार तो हुआ है, पर जैसा कि विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि "ग्रामीण महिलायें" "महिला समस्या" का अर्थ नहीं समझ पाई है। उनसे यदि उनकी समस्या के बारे में पूछा जाता है, तब उनका उत्तर सड़क, पानी, नाली, बिजली, ि"ाक्षा या मकान होता है। महिला विकास जैसा चिंतन उनके दिमाग में है ही नहीं और यही महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण है।

वर्तमान स्थिति में समस्या के उन बिन्दुओं को भी रेखांकित किया जाना चाहिए जो इस नवीन व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक यह कि महिलाओं के स्थान पर उनके पति बैठकों में जाते है। महिला प्रतिनिधियों के द्वारा मात्र अंगूठा ही कागज पर लगवा दिया जाता है। इसका मुख्य कारण निरक्षरता है। उन्होंने तो केवल अंगूठा लगा दिया यह जाने बिना कि वह किस प्रस्ताव पर अंगूठा लगा रही हैं। महिला सरपंचों एवं अन्य महिला पदाधिकारियों के पुरूष रि"तेदारों द्वारा उनके अधिकारों का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अनेक महिलाओं ने यह भय प्रकट किया है कि पंचायतों में उनकी भागीदारी से उनके घरेलू दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निर्धन महिलाओं को कार्य तथा मजदूरी की हानि उठानी पड़ेगी और इसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी इस प्रणाली में नहीं है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का भविष्य आज भी उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। इसका कारण निम्न जाति की महिलाओं का उच्च जाति की महिला सदस्यों के साथ बैठने तथा इनकी इच्छा के विरूद्ध जाने में संकोच करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए मूल रूप से हमारी पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराएं, मूल्य तथा रीतिरिवाज उत्तरदायी हैं। इन कारणों के फलस्वरूप ही पंचायतों में महिला आरक्षण अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका है। अतः इस रूढ़िगत सोच में बदलाव लाना नारी विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।

यह भी देखा गया है कि पंचायतों के माध्यम से उनके ससुर, पति या अन्य पुरूष रि"तेदार पंचायतों के कार्य में दखल देते हैं। इससे संविधान के इस प्रावधान की आत्मा का ही हनन होता है। इतना ही नहीं, महिलाओं में कार्य कु"ालता की कमी भी पंचायती संस्थाओं के सफल क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है। पंचायत में पुरूष सदस्य महिला सदस्यों को बैठकों में नहीं बुलाते और उनके घर पर ही रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराके उनकी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं।अनेक महिला प्रतिनिधियों ने भी यह स्वीकार किया है कि अपने गृहकार्यो को प्राथमिकता देने के कारण पंचायतों के क्रियाकलापों की जानकारी रखना उनके लिए मायने नहीं रखता। उनकी रूचि केवल पंचायत सदस्यों को मिलने वाले वि"ोषाधिकारों में ही अधिक रही है।

भाकुन्तला भार्मा द्वारा अपने अध्ययन **'ग्रास–रूट्स पॉलिटिक्स एण्ड पंचायती राज इन हिमाचल प्रदे"ा'** में 25 महिला सदस्यों को नमूनों के लिए चुना गया। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतो में तीनों ही पदो पर महिलायें निर्वाचित थी। लेकिन ये महिला सदस्य पंचायती आरक्षण के ढाँचें को खानापूर्ति मात्र थे। एक भी महिला सदस्य ऐसी नही पाई गई जो अपने चुनावी विजय के बारे में सही जानकारी रखती थी। महिलायें पंचायतो में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं। ये महिला सदस्य कभी भी बैठकों में उपस्थित नहीं होती है। इनके हस्ताक्षरों को बाद में करवा दिया जाता हैं। अध्ययन में पाया गया कि ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से वर्ष में दो बार भी नही होती है।[2]

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
International Journal of Economic Perspectives,*20*(05) 12-20
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

बृन्दा करात ने हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में बेरी विकासखण्ड का अध्ययन किया। इस विकासखण्ड में लगभग 300 महिला पंच हैं। लेकिन उनमें से 20 से 30 ही नियमित बैठकों में जाती हैं। अन्य महिलाओं के परिवार के पुरूष ही इन बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरूष बैठकों में उपस्थित तो होते ही है वे अपने पत्नी, माता तथा बहुओं के नाम के हस्ताक्षर भी करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो कि उन बैठकों में उपस्थित रहते हैं, इस परोक्ष राजनीति को स्वीकार करते हैं और रजिस्टरों को हस्ताक्षर के लिए निर्वाचित सदस्यों के घर भेज देते हैं।[3]

राधा कृश्ण राव ने **'वीमेन ऑफ उत्तरांचल अवेट ए न्यू डान'** में कहा कि इस राज्य में महिलाओं को 33 प्रति"ात आरक्षण की तुलना में 40 प्रति"ात स्थानों पर महिलायें निर्वाचित हुई है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं का प्रतिभाग समाज में भ्रष्टाचार के कैंसर से निपटने के लिए परमाव"यक है। यहाँ की महिलाओं ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के और अधिक आरक्षण के साथ ही अधिकारों की भी मांग की है।[4]

शोध पद्धति–

प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से निदर्शन में चुनी गई निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अध्ययन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की गई है। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों की शब्दावली सरल रखी गई है ताकि उत्तरदाता की समझ में प्रश्न सरलता से आ जाए तथा उन्हें उत्तर देने में असुविधा न हो। सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के द्वारा किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त उत्तरों को संकलित किया गया है। इसमें जनपद उत्तरकाशी की त्रिस्तरीय पंचायत में निर्वाचित 200 वर्तमान तथा निवर्तमान महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन के लिए चुना गया है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत शोध अध्ययन में वास्तविकता तथा यथार्थता लाने के लिए शोध संबंधी साहित्य सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों से सूचनाओं का समुचित उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं का अधधयन करना
2. पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता का अध्ययन करना।
3. पंचायत राज व्यवस्था से महिलाओं के जीवन पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4. निरक्षर एवं अशिक्षित महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करना।
5. तथाकथित प्रधान पतियों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानध पतियों की वस्तुस्थितियों का अध्ययन करना ।
6. महिला प्रतिनिधियों के पंचायती एवं घरेलू कार्यों में सामंजस्य का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद उत्तरकाशी को लिया गया है। जनपद उत्तरकाशी वर्तमान में 6 (छः) विकास खण्डों मोरी, पुरोला, नौगाँव, चिन्यालीसौड, डुंडा एवं भटवाडी मे विभक्त है। प्रत्येक विकासखंड से सूचनादात्रियों को दैव निदर्शन के आधार पर अध्ययन के लिए चुना गया है। इस प्रकार कुल 200 वर्तमान और निवर्तमान निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं को उजागर करने एवं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रतिद"ाी में सम्मिलित निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्र"न किया गया कि आपके परिवार के सदस्य क्या यह समझते हैं कि आपके पंचायती कार्यों के कारण घर एवं परिवार के कार्यो में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं। प्राप्त उत्तर नकारात्मक मिले।

तालिका संख्या –01
पंचायत कार्यों के कारण घर एवं परिवार के कार्यों में बाधा ?

क्रम सं0	घर–परिवार के कार्यों में बाधा	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	02 (6)	01 (3)	–	–	–	03 (10)	06 (3)
2.	नहीं	33 (94)	34 (97)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	27 (90)	194 (97)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

तालिका संख्या – 01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंचयाती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से अधिकतर ने यह माना कि उनके पंचायत सम्बन्धी कार्य के कारण घर एवं परिवार के कार्यों में बाधायें नहीं आती हैं। 97.0 प्रति"ात सूचनादात्रियों ने इस प्र"न का नहीं में उत्तर दिया है। केवल 3.0 प्रति"ात उत्तरदाताओं ने घरेलू कार्यों में आने वाली इन बाधाओं को स्वीकार किया है। पंचायती कार्यों की देख–रेख के कारण महिला पंचायत प्रतिनिधि घर से अनुपस्थित भी रहती हैं। परिवार के सदस्यों को क्या इस अनुपस्थिति पर आपत्ति होती है? प्राप्त उत्तर तालिका संख्या – 02 के अनुरूप मिले।

तालिका संख्या.. 02
पंचायती कार्यो के दौरान घर से अनुपस्थित रहने के कारण परिवार के सदस्यों की आपत्ति?

क्रम सं0	परिवार सदस्यों को आपत्ति	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मेरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	03 (9)	01 (3)	01 (3)	01 (3)	–	01 (3)	07 (3.5)
2.	नहीं	32 (91)	34 (97)	29 (97)	34 (97)	35 (100)	29 (97)	193 (96.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 02 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अधिकतर पंचायती महिला प्रतिनिधियों को पंचायती कार्यो के दौरान घर से अनुपस्थित रहने के कारण उनके परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होती है (97 प्रति"ात)। इस प्र"न के उत्तर में मात्र 3 प्रति"ात उत्तरदाताओं ने ही स्वीकार किया है कि इस अनुपस्थिति से उनके पारिवारिक सदस्यों को आपत्ति होती है। इस सुखद परिणाम से यह भी ज्ञात हो जाता है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके पारिवारिक सदस्यों की स्वाभाविक स्वीकृति है।ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कामकाजी महिलायें पहले से ही अपने पारिवारिक कार्यों के बोझ से दबी होती हैं। इस पर उनको पंचायत सम्बन्धी अतिरिक्त कार्य देने के फलस्वरूप उनके ऊपर कार्य का बोझ और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में क्या वह अपने कार्य को पूर्ण उत्तरदायित्व से कर पाती हैं।

तालिका संख्या – 03
क्या आप समझती है कि आप अपने कार्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व से नहीं कर पा रही हैं?

क्रम सं0	**उत्तर**	**विकासखण्ड**						**योग**
		नौगांव	**पुरोला**	**मोरी**	**चि0 सौड**	**डुण्डा**	**भटवाड़ी**	
1.	हाँ	16 (46)	17 (49)	20 (67)	27 (77)	20 (57)	15 (50)	115 (57.5)
2.	नहीं	19 (54)	18 (51)	10 (33)	08 (23)	15 (43)	15 (50)	85 (42.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 03 को अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में 58 प्रति"ात महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वह अपने पंचायती कार्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व से नहीं कर पाती हैं। तालिकानुसार 42 प्रति"ात सूचनादात्रियों ने यह स्वीकार किया है कि वह पूर्ण उत्तरदायित्व से अपने कार्यों का

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

निर्वाह कर पाती हैं। एक अन्य प्र"न में पंचायती महिला प्रतिनिधियों से पूछा गया कि क्या आपके कार्यों में आपके परिवार के सदस्य बाधा डालते हैं? प्राप्त उत्तर तालिका संख्या –04 के अनुरूप सकारात्मक मिलें।

तालिका संख्या –04
क्या आपके परिवार के सदस्य आपके कार्यों में बाधा डालते हैं?

क्रम सं0	कार्यों में बाधा	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	01 (3)	01 (3)	03 (10)	–	01 (3)	–	06 (3)
2.	नही	34 (97)	34 (97)	27 (90)	35 (100)	34 (97)	30 (100)	194 (97)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या :04 को देखने से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित अधिकतर महिलाओं (97 प्रति"ात) ने स्वीकार किया है कि उनके परिवार के सदस्य उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं। यह एक सकारात्मक एवं लाभदायक दृष्टिकोण है। तालिकानुसार मात्र 3 प्रति"ात सूचनादात्रियों ने ही इस प्रकार की पारिवारिक बाधाओं को स्वीकार किया है। लेकिन इस प्रकार की बाधायें किसके द्वारा डाली जाती हैं? प्राप्त उत्तर तालिका संख्या –05 के अनुसार मिलें।

तालिका संख्या :05 को देखने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कार्य में सर्वाधिक बाधायें उनके पतियों द्वारा डाली जाती हैं (83 प्रति"ात)। अन्य पुरूष रि"तेदारों में 01 प्रति"ात सूचनादात्रियों ने माना कि उनके पिता/ससुर उनके कार्यों में बाधायें डालते हैं

तालिका संख्या –05
महिला प्रतिनिधियों के कार्यों में बाधा डालने वाले सदस्य

क्रम सं0	पारिवारिक सदस्य	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	पति	01	01	02	–	01	–	05 (83)
2.	पिता/ससुर	–	–	01	–	–	–	01 (11)
3.	भाई	–	–	–	–	–	–	–
4.	सास	–	–	–	–	–	–	–
5.	अन्य	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	01	01	03	–	01	–	06 (100)

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस प्रक्रिया में स्थानीय जन प्रतिनिधियों से यह आ"ाा की जाती है कि वह जनता के कार्यों को सम्पूर्ण समर्पित भावना से करें। लेकिन क्या हमारी महिला पंचायत प्रतिनिधि इन जनहित के कार्यों को समर्पित भावना से कर रही हैं? तालिका संख्या 06 से हमें इसके सकारात्मक उत्तर मिलें।

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

तालिका संख्या –06
क्या जनता का प्रतिनिधि होने के कारण आप समर्पित भावना से जनहित में कार्यों को कर रही हैं?

क्रम सं0	समर्पित भावना	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	32 (91)	31 (89)	28 (93)	31 (89)	31 (89)	24 (80)	177 (88.5)
2.	नहीं	03 (9)	04 (11)	02 (7)	04 (11)	04 (11)	06 (20)	23 (11.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 06 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लगभग 89 प्रति"ात सूचनादात्रियों का मानना है कि वह सम्पूर्ण समर्पित भावना से जनहित के कार्यों को कर रही हैं। यह आँकड़ा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दि"ाा में सफल कदम माना जा सकता हैं। तालिकानुसार केवल लगभग 11 प्रति"ात उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे पूर्ण समर्पित भाव से जनहित के कार्यों को नहीं कर पा रही है। इन सूचनादात्रियों से जब इसका कारण पूछा गया तो प्राप्त उत्तर तालिका संख्या – 07 के अनुरूप मिलें।

तालिका संख्या – 07
सम्पूर्ण समर्पित भाव से कार्य नहीं करने के कारण

क्रम सं0	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	खेती बाड़ी के कार्यों के कारण समय नहीं दे पाती	–	–	–	–	–	02 (33)	02 (9)
2.	आम बैठकों और सरकारी कार्यालयों में जाने में संकोच होता है।	–	–	–	02 (50)	02 (50)	01 (17)	05 (22)
3.	पढ़े लिखे कम हैं।	03 (100)	03 (75)	02 (100)	02 (50)	02 (50)	02 (33)	14 (61)
4.	महिला होने के कारण मुख्यालयों में अकेले नहीं जा सकती।	–	01 (25)	–	–	–	01 (17)	02 (9)
5.	अन्य कारण	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	03 (100)	04 (100)	02 (100)	04 (100)	04 (100)	06 (100)	23 (100)

तालिका संख्या : 07 को अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 61 प्रति"ात महिला प्रतिनिधि इसलिए पूर्ण समर्पण से कार्य नहीं कर पाती हैं क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी हैं। वास्तव में आज के आधुनिक युग में निरक्षरता जनप्रतिनिधियों सहित आम जन के लिए एक अभि"ाप की तरह हैं। तालिकानुसार 22 प्रति"ात महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि उन्हें आम बैठकों और सरकारी कार्यालयों में जाने में संकोच होता है। जबकि महिला प्रतिनिधियों में क्रम"ाः 9–9 प्रति"ात सूचनादात्रियों ने खेती बाड़ी के कार्यों तथा महिला होने के कारण मुख्यालय स्तर पर अकेले नहीं जा पाने को इसका प्रमुख कारण माना है।

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ साक्षरता दर न्यून होती हैं, परम्परावादी समाजों में महिलायें आम बैठकों में जहाँ उनके परिवार के बड़े मुखिया लोग होते हैं, जाने में संकोच करती हैं। महिलायें इन बैठकों में बोलने में प्रायः संकोच करती हैं। इसी समस्या को देखते हुए महिला प्रतिनिधियों से यह पूछा गया कि क्या उन्हें जनता के बीच जाने में संकोच होता है? प्राप्त उत्तरों को तालिका संख्या. 08 में प्रदर्”ित किया गया है।

तालिका संख्या – 08
क्या आप जनता के बीच जाने में संकोच करती हैं?

क्रम सं0	जनता के बीच जाने में संकोच	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	20 (57)	17 (49)	09 (30)	21 (60)	25 (71)	09 (30)	101 (50.5)
2.	नहीं	15 (43)	18 (51)	21 (70)	14 (40)	10 (29)	21 (70)	99 (49.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या :08 को देखने से प्राप्त उत्तर लगभग बराबरी के स्पष्ट होते हैं। इस तालिकानुसार हमारी 50.5 प्रति”ात सूचनादात्रियों ने स्वीकार किया कि उन्हें जनता के बीच जाने में संकोच होता है। जबकि शेष 49.5 प्रति”ात सूचनादात्रियों ने यह स्वीकार नहीं किया है अतः उन्हें जनता के बीच बैठने एवं बोलने में कोई संकोच नहीं होता है। जिन महिलाओं को जनता के बीच जाने में संकोच होता है हमने उसका कारण जानने का भी प्रयास किया। प्राप्त उत्तर तालिका संख्या. 09 के अनुरूप मिले।

तालिका संख्या – 09
बैठकों में जाने और बोलने में संकोच का कारण

क्रम सं0	संकोच का कारण	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	आत्मवि”वास की कमी	–	08 (29)	–	–	05 (19)	01 (10)	14 (14)
2.	राजनीतिक ज्ञान या रूचि कम है।	–	02 (7)	–	02 (10)	02 (8)	05 (50)	11 (11)
3.	पढ़े लिखे कम है।	09 (100)	07(25)	04 (50)	15(75)	14 (54)	02 (20)	51 (50)
4.	डरती हैं कि गलत न हो जाये।	–	07 (25)	01 (12.5)	03 (15)	03 (12)	01 (10)	15 (15)
5.	मंच पर बोलने में संकोच या तनाव होता है।	–	–	–	–	–	01 (10)	01 (1)
6.	परिवार या गाँव के बुजुर्गो से संकोच होता है।	–	04 (14)	03 (37.5)	–	02 (8)	–	09 (9)
	कुल योग	09 (100)	28 (100)	08 (100)	20 (100)	26 (100)	10 (100)	101 (100)

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

(May 2026).
***International Journal of Economic Perspectives*,*20*(05) 12-20**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

तालिका संख्या : 09 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि जनता के बीच जाने में संकोच करने वाली महिला प्रतिनिधियों में लगभग आधी (50 प्रति"ात) महिलायें कम पढ़े लिखे होने को इसका मुख्य कारण मानती हैं। 15 प्रति"ात प्रतिनिधियों का मानना है कि वह डरती है कि कहीं कोई गलती न हो जाये इसीलिए वे संकोच करती हैं। 14 प्रति"ात महिलाओं ने अपने में आत्मवि"वास की कमी को इसका मुख्य कारण माना। अन्य प्रतिनिधियों में 11 प्रति"ात ने कम राजनीतिक ज्ञान एवं रूचि, 9 प्रति"ात ने परिवार या गाँव के बुजुर्गो तथा 1 प्रति"ात ने मंच पर बोलने में संकोच एवं तनाव को अपने संकोच का मुख्य कारण माना है।

सरकार के द्वारा इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को समय–समय पर बैठकों में आने–जाने हेतु मानदेय दिया जाता है। लेकिन क्या यह मानदेय पर्याप्त है।

तालिका संख्या –10
सरकारी बैठकों में जाने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं हैं?

क्रम सं0	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि0 सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	19 (54)	23 (66)	11 (37)	17 (49)	18 (51)	16 (53)	104 (52)
2.	नहीं	16 (46)	12 (34)	19 (63)	18 (51)	17 (49)	14 (47)	96 (48)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 10 को दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से 52 प्रति"ात ने माना है कि सरकारी बैठकों में जाने के लिए उन्हें दिया जाने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं है। जबकि 48 प्रति"ात उत्तरदाताओं ने इस दिये जाने वाले मानदेय को पर्याप्त माना है।

निष्कर्ष–

स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करने के उपरांत उपर्युक्त तालिकाओं के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह लगभग मिले––जुले हैं। जहां एक ओर इन महिला प्रतिनिधियों को पंचायती कार्यों के कारण घर एवं परिवार के कार्यों में बधाएँ नहीं आती हैं वहीं दूसरी ओर यह महिलाएं जनता के बीच बोलने में हिचकिचाती हैं एवं संकोच करती हैं। इनके संकोच का प्रमुख कारण निरक्षरता एवं कम पढ़ा लिखा होना है। इन महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनके घर से अनुपस्थित रहकर पंचायती कार्यों को करने में आपत्ति नहीं होती है। जबकि उन्होंने यह भी माना है कि वह पंचायती कार्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व से नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि उन्हें इन पंचायती कार्यों के साथ ही साथ कृषि,पशुपालन, घर का चूल्हा–चौका,बच्चों का पालन– पोषण एवं अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ता है।

शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को साक्षर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही इन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वह अपने अधिकारों का सही सदुपयोग कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रधान पतियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी पत्नियों के स्थान पर पंचायती बैठकों में जाते हैं और निर्णय लेते हैं। संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो आधी आबादी के साथ एक सच्चा न्याय होगा। यदि हम इन सुझावों पर अमल करेंगे तभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रमुख समस्याओं का समाधान आसानी से खोज सकेंगे।

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,

संदर्भ सूची

1. डी0 डी0 बसु, भारत का संविधान, नई दिल्ली : प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया, 1993
2. शकुन्तला शर्मा Grass Root Politics and Panchayati Raj (New Delhi : Deep and Deep Publication, 1994.)
3. Quoted by K.D. Gangrade "Power to Powerless: A silent Revolution through Panchayat Raj System", Journal of Rural Development,Vol 16, No 4, 1997, p. 760-61.
4. राधाकृष्ण राव "Women of Uttarakhand Await a New Dawn", Kurukshetra, March, 2001, p 47.
5. अहुजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था', जयपुर : रावत पब्लिके"ान, 1995
6. आर्या, सुदे"ाा, 'पर्वतीय नारी संघर्ष गाथा : तब से अब तक', उत्तराखण्ड कम्प्यूटर ग्राफिक्स, सुभाष नगर, हरिद्वार 2004
7. गुप्ता, कमले"ा कुमार, 'महिला स"ाक्तिकरण', बुक एनक्लेव, जयपुर (राजस्थान), 2005
8. गुड्डे एवं हट्ट, 'मैथड्स इन सो"ाल रिसर्च', न्यूयार्क : मेकग्राहिल बुक कम्पनी, 1952
9. डबराल, ि"ाव प्रसाद, 'उत्तराखण्ड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास', भाग– 1–7, दुगड्डा (गढ़वाल) : वीरगाथा प्रका"ान, 1975
10. भट्ट, चण्डी प्रसाद, 'ग्रामीण महिलाओं में चेतना का नया गुण' सीमान्त प्रहरी, मसूरी 9 जून 1986
11. भट्ट, राधा, "उत्तराखण्ड की नारी : श्रम साधना व पीड़ा', लेख प्रकाि"ात उत्तराखण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2002आज (सम्पा0) खड़ग सिंह वाल्दिया, अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा, 1996
12. मेहरा, सुरेन्द्र सिंह, "उत्तरका"ाी के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल", तक्षि"ाला प्रका"ान, नई दिल्ली, 1998

© 2026 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2026, Revised: 09 May 2026, Accepted: 25 May 2026,